27

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2022-23)

थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य अभियंता सेवाएं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल

(मांग सं. 20 और 21)

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

[केवल टिप्पणियाँ / सिफारिशें]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2022-23)

थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य अभियंता सेवाएं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल

(मांग सं. 20 और 21)

16.3.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
16.3.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय सूची

	पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना	4
प्राक्कथन	6

प्रतिवेदन

भाग - दो

टिप्पणियां / सिफारिशें	7

रक्षा संबंधी स्थायी समिति की संरचना (2021-22)

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री नितेश गंगा देब
4. श्री राहुल गांधी
5. श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
6. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. श्री रतन लाल कटारिया
9. डॉ. रामशंकर कठेरिया
10. श्री श्रीधर कोटागिरी
11. श्रीमती राजश्री मल्लिक
12. श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमाडा
13. डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर
14. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
15. श्री जुगल किशोर शर्मा
16. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
17. श्री प्रताप सिम्हा
18. श्री बृजेन्द्र सिंह
19. श्री महाबली सिंह
20. श्री दुर्गा दास उईके
21. रिक्त

राज्य सभा

22. डॉ. अशोक बाजपेयी
23. श्री एन. आर. इलांगो

24. श्री प्रेम चंद गुप्ता
25. श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
26. श्री शरद पवार
27. श्री वी. लक्ष्मीकांत राव
28. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
29. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
30. ले. जन. (डॉ.) डी. पी. वत्स (सेवानिवृत्त)
31. श्री के. सी. वेणुगोपाल

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री एम के मधुसूदन	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव
4.	श्रीमती शिल्पा कान्त	-	समिति अधिकारी
5.	श्रीमती रेखा सिन्हा	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य अभियंता सेवाएं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग सं. 20 और 21) के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी यह सत्ताईसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 09.02.2022 लोक सभा के पटल पर रखी गई थीं। समिति ने 16, 17, और 18 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति द्वारा 14 मार्च, 2022 को हुई बैठक में प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और इसे स्वीकार किया गया।

3. समिति रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सेवाओं / संगठनों के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में समिति द्वारा वांछित सामग्री और जानकारी उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद करती है ।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग- दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

10 मार्च, 2022

19 फाल्गुन,1943(शक)

जुएल ओराम
सभापति
रक्षा संबंधी स्थायी समिति

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

थल सेना

बजट

1. थल सेना सशस्त्र बलों का भूमि घटक है । भारतीय सेना भारत को मजबूती प्रदान करती है और राष्ट्रीय मूल्यों का पालन करती है। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और हमारे राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए समर्पित सेना के सामने आने वाली चुनौतियों में छद्म युद्धों को विफल करना, आंतरिक खतरों का सामना करना, सभी जरूरतों और संकटों के दौरान सरकार और भारत के लोगों की सहायता करना शामिल है। समिति यह नोट करती है कि बीई 2022-23 में राजस्व शीर्ष के तहत सेना का अनुमान 1,74,038.35 करोड़ रुपये था और अनुमोदित आवंटन 1,63,713.69 करोड़ रुपये है । इसमें 10,225.66 करोड़ रुपये की कमी है। आगे राजस्व बजट की जांच करते हुए समिति ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आरई में राजस्व शीर्ष के तहत सेना का अनुमान 1,68,657.23 करोड़ रुपये और आवंटन 1,57,619.06 करोड़ रुपये था इसमें भी 8,891.01 करोड़ रुपये कम थे। हालांकि, सेना इस राशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगी क्योंकि दिसंबर, 2021 तक किया गया व्यय सिर्फ 1,24,608.42 करोड़ रुपये है। समिति यह नोट करती है कि पिछले वर्ष के दौरान भी सेना आबंटित निधि को पूरी तरह से

खर्च नहीं कर पाई थी। यह सर्वविदित तथ्य है कि राजस्व बजट का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से वेतन और भत्तों के लिए जाता है जो एक निश्चित व्यय है और गैर-वेतन व्यय में राशन, भंडार, परिवहन, ईंधन आदि आते हैं। ये सेना के नियमित प्रशिक्षण और प्रचालनात्मक तैयारियों के लिए भी आवश्यक हैं। इन तथ्यों के आलोक में समिति यह पाती है कि यद्यपि पिछले वर्षों की तुलना में बीई आबंटन अनुमान से कम है, फिर भी 10,000 करोड़ रुपये की कमी होने से सेना की प्रचालनात्मक तैयारियों से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सेना को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुपूरक, आरई और आशोधित विनियोग चरणों में इसकी प्रचालनात्मक और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर पर्याप्त बजट प्रदान किया जाए।

2. समिति यह नोट करती है कि पूंजीगत बजट में मुख्यतः आधुनिकीकरण, बल स्तर में वृद्धि, अवसंरचना विकास आदि पर व्यय का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बीई में पूंजी शीर्ष के तहत, सेना का अनुमान 46,844.37 करोड़ रुपये था और आवंटन 32,115.26 करोड़ रुपये है। मांग की तुलना में आबंटन में 14,729.11 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। आरई 2021-22 में सेना का अनुमान 38,344.90 करोड़ रुपये था जिसकी तुलना में 25,377.09 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जो कि मांग से 12967.81 करोड़ रुपये कम है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीन तिमाहियों यानी दिसंबर 2021 तक का खर्च सिर्फ 14,569.08 करोड़ रुपये

था। समिति का विचार है कि इतने बड़े सीमा क्षेत्र और पड़ोसी देशों के मित्रवत न होने के कारण सेना की भौतिक रूप से तैनाती अनिवार्य है। साथ ही उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मशीन और मशीन का प्रयोग करने वाले सैनिक, दोनों साथ मिलकर ही युद्ध जीत सकते हैं। समिति की राय है कि सेना को उच्च मनोबल वाले सैनिकों के साथ-साथ नवीनतम हथियार प्रणालियों की भी आवश्यकता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि सेना को अगले बजट से पूंजी शीर्ष के तहत अनुमान के अनुसार आवंटन किया जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाद के चरणों यानी अनुपूरक, आरई और आशोधित विनियोग चरण में आवश्यकता पड़ने पर सेना को पूंजीगत व्यय हेतु पर्याप्त बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी उम्मीद व्यक्त की कि सेना चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक आरई 2021-22 में आवंटित लगभग 11,000 करोड़ रुपये के शेष संसाधनों का उपयोग कर लेगी।

<u>स्वदेशीकरण</u>

3. अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान समिति को यह बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना ने भली-भांति सोच समझकर स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। पहले बड़ी संख्या में वैश्विक स्तर पर अधिग्रहण किए जा रहे थे जिन्हें अब घरेलू स्तर पर किया जा रहा है। इसमें थोड़ा अधिक समय लग गया क्योंकि इसमें उद्योग द्वारा नए

उपकरणों का उत्पादन, इनका परीक्षण, तदुपरांत स्वीकृति और अग्रिम मोर्चों पर उत्पाद का प्रयोग करना शामिल है। सेना के प्रतिनिधियों ने आगे बताया कि इस परिप्रेक्ष्य में पूंजीगत बजट में कटौती या पुन: विनियोग के मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए। समिति आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सेना की सराहना करती है और चाहती है कि वैश्विक स्तर पर मौजूदा विवाद परिदृश्य को देखते हुए मंत्रालय को सशस्त्र बलों को इष्टतम रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने चाहिए और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

4. समिति को सूचित किया गया कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान (31.12.2021 तक) भारतीय सेना के लिए टैंक, मिसाइल, वाहन, टैंकों के लिए माइन प्लाउ, पिनाक प्रणाली, सुरक्षित संचार प्रणाली, मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड (एमएचएचजी), हथियार का पता लगाने वाले रडार और असॉल्ट राइफल्स जैसे रक्षा उपकरणों की पूंजीगत खरीद के लिए भारतीय विक्रेताओं के साथ 29 अनुबंधों में से 19 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। 2020-21 और 2021-22 के दौरान (दिसंबर 2021 तक) स्वदेशी अनुबंधों पर सेना के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट के तहत क्रमशः 17,446.83 करोड़ रुपये और 9946 करोड़ रुपये व्यय किए गए। समिति को यह जानकर प्रसन्नता है कि आबंटित राशि का लगभग 80% घरेलू खरीद के लिए दिया गया है और सेना घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने का समर्थन कर रही है। समिति ईमानदारी से चाहती है कि आने

वाले समय में सेना के बल संवर्धन और आधुनिकीकरण के लिए परिव्यय का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए।

<u>आधुनिकीकरण बजट</u>

5. समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूंजी अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत बीई चरण में सेना को 30,636.90 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। इन आवंटनों की तुलना में (दिसंबर, 2021 तक) 11,760.68 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। आगे यह भी बताया गया कि व्यय की गति को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण के तहत आरई 2021-22 में सेना को अतिरिक्त धन आवंटित नहीं किया गया था, और अभ्यर्पित निधि, यदि कोई हो तो, का वित्तीय वर्ष 2021-22 के आशोधित विनियोग को अंतिम रूप देते समय पता चल जाएगा। आरई चरण में विनियोग के बाद 19485.09 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। सेना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहले और दूसरे अनुपूरक चरण में किसी अतिरिक्त आवंटन की मांग नहीं की थी। समिति पाती है कि सेना की आधुनिकीकरण गतिविधियों पर अपेक्षाकृत कम खर्च किया गया है। स्वदेशीकरण पर बल देने के कारण, जिसका पहले उल्लेख किया गया है, को ध्यान में रखते हुए समिति दोहराती है कि इस संबंध में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और जहां तक संभव हो ऐसी आधुनिक हथियार प्रणालियों की खरीद की

जानी चाहिए जो भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित हों । इस तरह के निर्णय वर्तमान खतरे की आशंकाओं पर आधारित होने चाहिए और इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए । समिति ने उम्मीद जताई है कि आधुनिकीकरण के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्च की जाने वाली शेष धनराशि का इष्टतम और विवेकपूर्ण ढंग से पूर्ण उपयोग किया जाएगा । अंतिम समय में खर्च करने की जल्दबाजी में कोई फिजूलखर्ची न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए।

<u>बुलेट प्रूफ जैकेट (बीपीजे)</u>

6. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित उत्तरों से समिति यह नोट करती है कि सरकार बुलेट प्रूफ जैकेट/बॉडी आर्मर/बॉडी प्रोटेक्टर के विनिर्माण के लिए निजी कंपनियों को उक्त रक्षा स्टोरों की स्वदेशी क्षमताओं के लिए लाइसेंस जारी कर रही है। समिति ने यह भी नोट किया है कि वर्तमान में निजी क्षेत्र में 21 कंपनियों को बुलेट प्रूफ जैकेट के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं और 07 कंपनियों नामतः मैसर्स अंजनी टेक्नोप्लास्ट, नोएडा, मैसर्स एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, मैसर्स इंडियन आर्मर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा, मैसर्स स्टार वायर इंडिया लिमिटेड, हरियाणा, मैसर्स भरिज फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब, मैसर्स ए एंड टी मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद और मैसर्स टाटा एडवांस्ड मैटेरियल लिमिटेड, बेंगलुरु ने उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स एसएमपीपी प्राइवेट

लिमिटेड ने 1,86,138 बुलेट प्रूफ जैकेटों (बीपीजे) की आपूर्ति करने के लिए एमओडी के एक अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। समिति यह भी नोट करती है कि सरकारी क्षेत्र में ट्रूप्स कम्फर्ट लिमिटेड ने बुलेट रेसिस्टेंस जैकेट (बीआरजे) विकसित किए हैं और तमिलनाडु पुलिस को सफलतापूर्वक 172 बीआरजे के एक छोटे ऑर्डर की आपूर्ति की है। एक अन्य डीपीएसयू, मिधानी ने भी प्रयोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के बीआरजे का विनिर्माण शुरू कर दिया है और सुरक्षा और रक्षा बलों को इसकी आपूर्ति की है। इसके अतिरिक्त, मिधानी ने भाभा कवच सहित बीआरजे का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक आधुनिक टाउनशिप (आईएमटी), रोहतक में एक कैप्टिव उत्पादन इकाई स्थापित की है। मौखिक साक्ष्य के दौरान, एक प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि बुलेटप्रूफ जैकेट में दो/तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं और विभिन्न परतों में से एक परत पॉलिमर डिजाइन की आवश्यक प्लेट होती है। हमारे देश में पॉलिमर की कतिपय परतें नहीं बनाई जा रही थीं और उद्योग जो कुछ आयात कर रहे थे वे सभी हमारे देश में शत प्रतिशत अभिकल्पित, निर्मित और विनिर्मित किए जाते हैं। समिति को यह जानकर खुशी है कि लगातार कई वर्षों के इंतजार के बाद हमारे सैनिकों के बहुमूल्य जीवन की रक्षा स्वदेशी रूप से निर्मित बीपीजे से होगी। समिति आशा करती है कि 1,86,138 बीपीजे की तत्काल खरीद की जाएगी और वर्ष के अंत तक शेष प्राधिकृत मात्रा का भी ऑर्डर दे दिया जाएगा ।

<u>जनशक्ति</u>

7. समिति यह नोट करती है कि अधिकारी संवर्ग में लगभग 15% स्टाफ की कमी है और यह कमी काफी समय से है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि अजय विक्रम सिंह समिति (एवीएससी) ने स्थायी संवर्ग और सहायता संवर्ग जो अधिकांशतः शॉर्ट सर्विस कमीशन है, के बीच 1.1:1 का अनुपात बनाए रखने का निर्णय लिया था । रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष यह भी बताया कि शकदर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार जनशक्ति के इष्टतमीकरण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। समिति यह सिफारिश करती है कि सेना की स्वीकृत संख्या को बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर व्यापक संवर्ग समीक्षा की जानी चाहिए अन्यथा जनशक्ति में कमी से जमीनी स्तर पर सेना की युद्धक क्षमताएं प्रभावित होंगी । समिति की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करते समय इस संबंध में किए गए उपायों से अवगत होना चाहेगी ।

वायुसेना

8. वर्ष 2022-23 के लिए वायुसेना हेतु मांग संख्या 19 और 20 की जांच करते हुए, समिति ने पाया कि राजस्व खंड में, वायुसेना ने 50,692.44 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया, जिसकी तुलना में 32,873.46 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 17818.98 करोड़ रुपये के अंतर से, यह स्पष्ट है कि आवंटन अनुमानों की तुलना में काफी कम है जो कि अनुमान का केवल दो-तिहाई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के माध्यम से, समिति ने पाया कि 2021-22 में, आरई स्तर पर वायुसेना को अंतिम आवंटन 34,283.02 करोड़ रुपये था, जबकि दिसंबर, 2021 तक किया गया व्यय 27,307.22 करोड़ रुपये था। समिति का मानना है कि गत वर्षों में वायुसेना द्वारा किया गया व्यय बहुत ही अनुकूल रहा है क्योंकि वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में तीन चौथाई से अधिक राशि व्यय की गई थी। गत प्रवृत्ति के आधार पर, समिति आरई स्तर पर वायुसेना संगठन के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटन की सिफारिश करती है। चूंकि सामान्य तौर पर राजस्व व्यय सेना की किसी भी समय परिचालनात्मक संबंधी तैयारियों को इंगित करता है, इसलिए उसमें अपर्याप्तता वांछनीय नहीं है।

9. पूंजीगत खंड के मामले में भी, समिति ने अनुमान और आवंटन में काफी अंतर पाया। बजट अनुमान 2022-23 में 85,322.60 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था, जबकि केवल 56,851.55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया और लगभग 30,000 करोड़ रुपये का स्पष्ट अंतर है। चूंकि पूंजीगत बजट मुख्य रूप से सेना के आधुनिकीकरण और संवर्द्धन पर व्यय को पूरा करता है, इसलिए आवंटन में 30,000 करोड़ रुपये के अनुमान की कमी ध्यान देने योग्य है। डीएफजी की चर्चा के दौरान, वायुसेना के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि विद्यमान लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। समिति का विचार है कि वर्तमान प्लेटफार्मों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लंबी दूरी के हथियारों की खरीद भी समय की मांग है। दो मोर्चों पर खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए, वायु शक्ति में वृद्धि सर्वोपरि है। वायुसेना की खरीद बड़े पैमाने पर गहन पूंजी आधारित होने के कारण, समिति आरई या अनुपूरक अनुदान स्तर पर पूंजी शीर्ष के तहत वायुसेना को अतिरिक्त आवंटन की सिफारिश करती है। समिति आगे नोट करती है कि 2021-22 के दौरान बजट अनुमान 77,140.56 करोड़ रुपये था, जबकि आरई स्तर पर अनुमान 71,176.39 करोड़ रुपये था। यद्यपि, संशोधित अनुमान स्तर पर किया गया अंतिम आवंटन 53,214.77 करोड़ रुपये था। इसकी तुलना में दिसंबर, 2021 तक 36,820.15 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। समिति का मानना है कि वित्तीय वर्ष 2021-

22 की अंतिम तिमाही में 25 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय की जानी बाकी है। समिति विभाग से आग्रह करती है कि सभी कदम उठाए जाएं ताकि आवंटित संसाधनों का वायुसेना द्वारा लाभकारी ढंग से और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सके ताकि वायुसेना के आधुनिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

10. जहां तक स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से पूंजी अधिग्रहण की बात है, समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, घरेलू अधिग्रहण के लिए कुल आवंटन 29,684 करोड़ रुपये था, जिसमें से 21,631 करोड़ रुपये अर्थात 72.87 प्रतिशत खर्च किए गए। मार्च, 2022 तक लगभग 27 प्रतिशत राशि खर्च की जानी बाकी है। समिति चाहती है कि शेष राशि का स्वदेशी खरीद के लिए इष्टतम और पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति को सूचित किया गया था कि वर्ष 2022-23 के लिए, घरेलू और विदेशी खरीद आवंटन क्रमशः 62.34 प्रतिशत और 37.66 प्रतिशत है। समिति इस बात की सराहना करती है कि वायुसेना द्वारा स्वदेशी खरीद पर विशेष जोर दिया जाता है। समिति चाहती है कि वायुसेना स्वदेशी खरीद के लिए निरंतर प्रयास करे ताकि आत्म-निर्भरता वायुसेना का उद्देश्य बना रहे।

<u>सेना स्तर</u>

11. समिति की सुविचारित राय है कि वायुसेना के पास दो मोर्चों पर प्रतिरोधक क्षमताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि भारत की दोनो सीमाओं पर खतरा एक वास्तविकता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, हमारी सशस्त्र सेनाओं को सभी संभावित युद्ध क्षमताओं से लैस करना समय की मांग है। वायुसेना की मारक क्षमता उसकी किटी में लड़ाकू स्क्वाड्रनों के अनुपात में है। साक्ष्य के दौरान, वायुसेना के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि स्क्वाड्रन की वर्तमान अधिकृत संख्या 42 है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि विद्यमान अधिकांश स्क्वाड्रन की कुल तकनीकी आयु समाप्त हो रही है और परिणामस्वरूप स्क्वाड्रन की शक्ति उत्तरोत्तर घट रही है। समिति को अवगत कराया गया कि एलसीए मार्क-I और एमआरएफए उक्त कमी को दूर करने (ड्रॉ-डाउन) में सहायक होंगे। समिति इन विमानों की समयबद्ध खरीद पर जोर देती है, ताकि वायुसेना के स्क्वाड्रन की पूर्ति की जा सके। समिति यह भी आग्रह करती है कि वायुसेना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निकट भविष्य में नए विमानों की खरीद की जाए ताकि सेना की लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। समिति का विचार है कि लड़ाकू स्क्वाड्रन की शक्ति को केवल विमानों की संख्या पर नहीं बल्कि उनकी हथियार ले जाने की क्षमता, घातकता और उड़ान भरने और मारक क्षमता के आधार पर गणना की जाती है। इसलिए वायसेना में फाइटर

जेट्स को शामिल करते समय गोलाबारी करने की शक्ति (फायर पावर) और प्रौद्योगिकी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

12. मालवाहक विमानों के संबंध में भी, समिति नोट करती है कि विमानों की संख्या कम हो गई है। समिति को सूचित किया गया कि एएन-32, वायुसेना के पास वर्तमान में उपलब्ध मुख्य मालवाहक विमान है और 2032 तक, एवीआरओ विमान लगभग अपनी तकनीकी आयु पूरी कर लेगा। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि वायुसेना ने सितंबर, 2021 में एवीआरओ विमान के स्थान पर सी-295 विमानों का अनुबंध किया है। समिति सिफारिश करती है कि मालवाहक विमान और हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमानों की आवश्यकता का आकलन किया जाए और उनकी खरीद के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाए। समिति इस संबंध में किए गए उपायों से अवगत होना चाहेगी।

13. जहां तक हेलीकॉप्टरों का संबंध है, समिति को यह बताया गया था कि 2032 तक मिडियम लिफ्ट मेन हेलीकॉप्टर एमआई-17 पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। चीता, चीतल और चेतक हेलीकॉप्टर वर्तमान में सियाचिन और पूर्वोत्तर सहित अग्रवर्ती (फॉरवर्ड) क्षेत्रों में उपयोग किए जा रहे हैं, जो 2032 तक कम हो जाएंगे। इस कमी को लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (एलयूएच) को शामिल करके पूरा

करने की योजना है। आगे यह भी बताया गया कि एलयूएच की सुपुर्दगी प्रारंभ हो जाएगी और इस वर्ष उनमें से 12 की सुपुर्दगी की जाएगी। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इनकी घटती संख्या को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन्हें शामिल करने की गति सेवा से हटाए जाने वाले विमानों के अनुरूप हो, ताकि हमारी विद्यमान क्षमताओं में कोई अंतर न हो।

<u>जनशक्ति</u>

14. समिति ने पाया कि वायुसेना में अधिकारियों की स्थापित और विद्यमान संख्या क्रमश: 12714 और 12142 है। एयरमैन के संबंध में, स्वीकृत और विद्यमान संख्या क्रमशः 1,43,964 और 1,37,740 है, जिसमें 6,224 एयरमैन की कमी है। समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न संस्थानों में 8422 एयरमैन प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अधिकारियों के संबंध में, समिति को यह बताया गया कि कमीशनिंग चक्र आदि के आधार पर 574 की कमी एक परिवर्तनशील आंकड़ा है। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि उचित संवर्ग प्रबंधन योजना और कार्यान्वयन के साथ, कमी को नियत समय में पूरा किया जा सकता है। समिति ने मंत्रालय के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए विभाग से सभी रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए फिर भी पुरजोर प्रयास करने का

आग्रह किया ताकि वायुसेना की परिचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूर्ण किया जा सके।

<u>प्रशिक्षण विमान</u>

15. समिति ने नोट किया कि वायुसेना में प्रशिक्षण विमानों की कमी है, जिससे वायुसेना कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताएं प्रभावित हो रही हैं। साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रशिक्षण विमानों की कमी है, हालांकि, वे आशान्वित थे कि जब तक एचटीटी-40 को सेना में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक किरण प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा। समिति का मानना है कि पायलटों के लिए हर स्तर पर प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी कमी के परिणामस्वरूप दुर्घटना हो सकती है। समिति सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय को वायुसेना में पायलटों के लिए वैकल्पिक मिड-लेवल ट्रेनर एयरक्राफ्ट का पता लगाना चाहिए, जब तक कि एचटीटी-40 को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) में शामिल नहीं कर लिया जाता।

<u>हवाई क्षेत्र (एयर फील्ड्स) अवसंरचना</u>

16. समिति नोट करती है कि हवाई क्षेत्र (एयर फील्ड्स) का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान में एमएएफआई, चरण- II पर कार्य चल रहा है और इसके पूरा होने का निर्धारित समय अक्टूबर 2024 है, इसके अतिरिक्त हवाई क्षेत्र को अभूतपूर्व गति से विकसित किया जा रहा है। समिति सैन्य अभियानों में हवाई क्षेत्र के महत्व पर जोर देती है क्योंकि अब यह सभी को ज्ञात है कि हमारे विरोधी सीमा रेखा पर हवाई क्षेत्र विकसित कर रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में, यह अनिवार्य हो जाता है कि हमारे हवाई क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जाए और उनका तेजी से अनुरक्षण किया जाए। समिति सिफारिश करती है कि आधुनिक युद्ध पद्धति के अनुकूल अत्याधुनिक हवाई क्षेत्र को विकसित करने के लिए वायुसेना के लिए आवश्यक बजट और प्रौद्योगिकी क्षमता आवश्यकताओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

<u>भारतीय नौसेना</u>

17. भारतीय नौसेना राष्ट्रीय रक्षा का कठिन कार्य करती है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में कई सुरक्षा चुनौतियां हैं और लगभग 1,70,000 जहाज विभिन्न चोक बिंदुओं से होकर गुजरते हैं और लगभग 13,000 जहाज किसी भी समय में हिंद महासागर क्षेत्र होते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए नौसेना की अनुदान की मांगों

की जांच पर समिति ने पाया कि पूंजी शीर्ष के तहत बीई में नौसेना ने अपने वार्षिक व्यय के रूप में 67,622.96 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। इस अनुमान की तुलना में, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने वास्तव में 47,590.99 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिससे 20,031.97 करोड़ रुपये का अंतर आया। समिति का यह विचार है कि आधुनिकीकरण के लिए निरंतर प्रयास आधुनिक युद्ध का सार है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नई प्रौद्योगिकियां पारंपरिक युद्ध अभ्यासों को प्रतिस्थापित कर रही हैं। इसलिए, पूंजीगत वित्तपोषण यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि नौसेना एक निर्बाध आधुनिकीकरण अभियान शुरू करे।

18. समिति यह पाती है कि राजस्व क्षेत्र नौसेना ने बीई 2022-23 में 34701.66 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था, हालांकि, इसे केवल 25406.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप अनुमान की तुलना में 9295.24 करोड़ रुपये कम आबंटित किए गए। साक्ष्य के दौरान, नौसेना के प्रतिनिधियों ने कहा कि कमी को युक्तिसंगत बनाकर और प्राथमिकता निर्धारित कर कम किया जाता है। समिति का मानना है कि राजस्व बजट का उपयोग नौसेना के प्रचालन, प्रशिक्षण, अनुरक्षण, मरम्मत और दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण के लिए किया जाता है, जो नौ सेना की 'तैयारी' के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और

इस शीर्ष में अपर्याप्तता से दुर्घटनाएं और जनहानि हो सकते हैं, इसके अलावा, राजस्व बजट में वृद्धि को भी मुद्रास्फीति से जोड़े जाने की आवश्यकता है। समिति का विचार है कि 9295.24 करोड़ रुपये की कमी से दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर असर पड़ सकता है और इसलिए कभी भी नौसेना की प्रचालनीयता प्रभावित हो सकती है। इसलिए समिति का विचार है कि राजस्व शीर्ष के तहत आवश्यक निधियों के लिए नौसेना की आवश्यकताओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि परिचालन तैयारी प्रभावित न हो।

19. अनुमान और आवंटन के अलावा, बजट का एक और पहलू है यानी खर्च। इस पहलू पर, समिति ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि राजस्व शीर्ष के मामले में, 2021-22 में, बी.ई. में नौसेना द्वारा किया गया अनुमान 70,920.78 करोड़ रुपये था, आरई चरण में अंतिम आवंटन 46,021.54 करोड़ रुपये था और 3 तिमाही के अंत तक यानी दिसंबर 2021 तक किया गया खर्च 29,616.00 करोड़ रुपये था।. समिति यह समझने में विफल रही कि जब वास्तविक व्यय बहुत कम था, तो नौसेना ने बीई स्तर पर 70,920.78 करोड़ रुपये का एक बड़ा अनुमान क्यों लगाया । समिति का विचार है कि राजस्व व्यय का काफी हद तक समय से पहले यर्थाथवादी अनुमान लगाया जा सकता है ताकि अनुमानित और वास्तविक खर्च व्यापक अंतर न हो । समिति का आग्रह है कि नौसेना विवेकपूर्ण ढंग से

अपने अनुमान लगाएगी और वैकल्पिक रूप से अपने संसाधनों के आवंटन का उपयोग करेगी। साक्ष्य के दौरान रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि नौसेना ने अपने व्यय को तर्कसंगत बनाकर कम आवंटन के साथ प्रबंधन किया और परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई ताकि परिहार्य खर्चों को कम किया जा सके। यह भी कहा गया कि नौसेना शेष राशि का उपयोग अगले डेढ़ महीनों में करेगी । समिति ने उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी की है कि नौसेना बजट बनाते समय अधिक तर्कसंगत अनुमान प्रस्तुत करेगी, अन्यथा विकट अनुमान लगाने से बहुत कम राशि उपलब्ध होगी ।

<u>स्वदेशीकरण</u>

20. डीएफजी की जांच के दौरान, समिति को स्वदेशीकरण की दिशा में नौसेना द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में पता चला। नौसेना के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान में निर्माणाधीन 39 जहाजों और पनडुब्बियों में से 37 का निर्माण देश के भीतर विभिन्न शिपयार्डों में किया जा रहा है, और 41 और जहाजों का निर्माण देश के भीतर किए जाने की योजना है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि देश में नौसेना के जहाजों का विनिर्माण काफी हद तक किया जा रहा है। हालांकि, वह इस बात पर जोर देना चाहती हैं कि जहाजों के निर्माण के दौरान हथियार प्रणालियों और सेंसर सहित जहाजों की लड़ाकू क्षमताओं पर अधिक जोर

दिया जाएगा। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि नौसेना ने अपनी हथियार और सेंसर प्रणालियों की आवश्यकताओं को फिक्की और सीआईआई सहित निजी भारतीय उद्योगों के साथ साझा किया था, इस प्रकार आयात के बजाय घरेलु उद्योगो के माध्यम से स्वदेशीकरण को प्राथमिकता मिल रही है। समिति आशा व्यक्त करती है कि निजी क्षेत्र की मदद से, नौसेना विभिन्न आधुनिक अत्याधुनिक प्रणालियों को प्राप्त करने में सक्षम होगी, जो देश की समुद्री सीमा को रक्षा के लिए केवल कुछ विकसित देशों के लिए उपलब्ध थीं। समिति पुरजोर यह सिफारिश करती है कि नौसेना की रक्षा क्षमताओं और वैज्ञानिक रोडमैप को साझा करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाए ताकि शत्रु राष्ट्रीय समुद्री हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरह से इसका उपयोग न कर सके।

<u>आधुनिकीकरण बजट</u>

21. समिति यह नोट करके चिंतित है कि आधुनिकीकरण बजट में काफी कम खर्च किया गया है। इस संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया किया कि कतिपय संविदाएं लंबित हैं और शेष राशि का उपयोग इसके लिए किया जाएगा। यह भी बताया गया था कि कोविड प्रभाव के कारण इस तरह के अनुबंधों में देरी हुई थी. समिति चालू वित्त वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिए नौसेना द्वारा शेष संसाधनों के विवेकपूर्ण और इष्टतम उपयोग की सिफारिश करती है

ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कोई अतिशेष न रह जाए। समिति यह समझती है कि नौसेना की कई आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाएं एलटीटीआईपीपी 2012-27 के अनुरूप पाइपलाइन में हैं। समिति यह आशा करती हैं कि नवीनतम मानव रहित प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों पर आधारित नए वैज्ञानिक रोडमैप के साथ, नौसेना लगातार इस आधुनिकीकरण अभियान को आगे बढ़ाएगी। आशा व्यक्त करती हैं कि नौसेना परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान जारी रखे जाएंगे ।

22. विशेष रूप से आधुनिकीकरण के लिए बजट आवंटन के संबंध में, समिति को अवगत कराया गया था कि नौसेना को वित्तीय वर्ष 2022-23 में बीई (आधुनिकीकरण) के तहत 45,250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, यह कहा गया कि वर्तमान कुल प्रतिबद्ध देनदारियां 1,20,890 करोड़ रुपये हैं। अगले पांच वर्षों में अनुबंध के लिए 1,99,252 करोड़ रुपये और 2,50,571 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण योजनाऐं प्रगतिशील हैं । समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि वर्तमान स्थायी प्रतिबद्ध देयताएं आबंटन से कहीं अधिक हैं, इसलिए, सरकार को आबंटन करते समय वर्तमान देनदारियों का ध्यान रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्पष्ट देयताएं भविष्य की संविदा वार्ताओं में बाधाएं पैदा न करें।

बल स्तर

23. समिति ने यह पाया कि कई जहाज, पनडुब्बियां, विमान आदि नौसेना द्वारा विनिर्माण/अधिग्रहण की प्रक्रिया में हैं। एओएन को 43 जहाजों और 111 नौसेना उपयोगिता हेलीकॉप्टरों को स्वदेशी रूप से बनाए जाने का कार्य सौपा गया है और छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए आरएफपी भी जारी किया गया है। नौसेना द्वारा डोर्नियर और चेतक सहित 36 विमानों की डिलीवरी के लिए भी अनुबंध पूरा कर लिया गया है और 2022 से 24 एमआरएच की डिलीवरी भी की जानी निर्धारित की गई है। 10 नौसेना पोत जनित मानवरहित हवाई प्रणालियों की खरीद का मामला भी संविदा निष्कर्ष चरण में है और एओएन प्राप्त करने के लिए 10 एचएएलईआरपीए पर कार्य किया जा रहा है। समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि सभी प्रापण संविदात्मक समय-सीमा के भीतर कर लिए जाएं, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनावश्यक विलंब न हो, ताकि राष्ट्रीय संसाधनों का नुकसान न हो।

श्रमशक्ति

24. समिति ने पाया कि नौसेना में अधिकारियों की स्वीकृत संख्या (चिकित्सा और दंत चिकित्सा अधिकारियों को छोड़कर) 11726 है जबकि वास्तविक संख्या 10169 है जिससे 1557 कार्मिको की कमी हो गई है, इस संबंध में नौसेना के

प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि नौसेना लगातार भर्ती कर रही है और इन्हें शामिल कर रही है ताकि कमी को उत्तरोत्तर कम किया जा सके। नाविकों के मामले में, स्वीकृत संख्या 75409 थी, जबकि तैनात संख्या 63700 थी। समिति ने आगे नोट किया कि 15.53% की कमी हो गई है। समिति को अवगत कराया गया कि 'संयुक्त भारतीय नौसेना' और 'अवसरों का महासागर' जैसे प्रकाशनों के माध्यम से पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है और उल्लेखनीय रूप से अच्छी प्रतिक्रिया रही है और जैसे-जैसे नए प्लेटफार्म चालू हो जाएंगे, रिक्तियों को भी पूरा किया जाएगा। नौसेना में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय को नवीनतम तकनीकी विकास के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उन्नयन और जनशक्ति की कमियों को दूर करने की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

संयुक्त स्टाफ

बजट

25. समिति नोट करती है कि 2022-23 के बजट अनुमानों में, संयुक्त स्टाफ ने 5473.28 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है जिसकी तुलना में 4462.35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिससे 1010.93 करोड़ की कमी हुई है। संयुक्त स्टाफ की लगातार बढ़ती भूमिका और जिम्मेदारियों जिसका उद्देश्य हमारी रक्षा सेनाओं का आधुनिकीकरण का करना है, को ध्यान में रखते हुए, समिति विभाग

से अनुरोध करती है कि संयुक्त स्टाफ को पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि संगठन के कार्यकरण संबंधी आवश्यक्ताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सके। चूंकि लगभग 20 प्रतिशत की कमी से सुविचारित लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि संयुक्त स्टाफ को वर्ष के दौरान संशोधित आकलन (आरई) या अनुपूरक बजट स्तर पर अपेक्षित बजटीय आवंटन प्रदान किया जाए।

26. समिति का दृढ़ मत है कि 2022-23 के दौरान बजटीय अनुमान स्तर पर 4462.35 करोड़ रुपये का आवंटन 2021-22 हेतु बजट अनुमान से कम है जो कि 4543.04 करोड़ रुपये था। साक्ष्य के दौरान, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति की चिंताओं का उत्तर देते हुए कहा कि गत वर्ष के दौरान थोड़ा कम व्यय हुआ था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जैसे-जैसे व्यय बढ़ता है, किसी भी प्रकार की बजटीय आवश्यकता को संशोधित अनुमान स्तर/अनुपूरक स्तर पर अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस स्तर पर समिति केवल यह सिफारिश कर सकती है कि मंत्रालय को इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष सही ढंग से उठाना चाहिए ताकि संयुक्त स्टाफ की सभी आवश्यक कार्यात्मक आवश्यकताओं/गतिविधियों को यथोचित रूप से पूरा किया जा सके और उनके साथ वित्तीय सहायता की कमी के कारण समझौता न किया जाए।

27. समिति आगे नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, संयुक्त स्टाफ को 6251.11 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की तुलना में बजट अनुमान स्तर पर 4543.04 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। बाद में, आरई स्तर

पर, 4146.26 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। यह देखा जा सकता है कि आरई में आवंटन 396.78 करोड़ रुपये है जो उक्त वर्ष के बीई से कम है। समिति का यह दृढ़ मत है कि एक बार वार्षिक व्यय की योजना और निर्धारण हो जाने के पश्चात, संगठन के लिए निधियों के कम आवंटन के साथ अपने व्यय को पूरा करना कठिन हो जाएगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को संबंधित मंत्रालय पर जोर देना चाहिए कि बीई के दौरान निर्धारित किए गए आवंटन को आरई स्तर में कम नहीं किया जाए। अन्यथा, यह संगठन की बजटीय प्रक्रिया में तदर्थवाद को बढ़ावा देगा जिससे सेनाओं की समग्र तैयारी प्रभावित होगी।

28. एक अन्य पहलू जो समिति के संज्ञान में आया है वह कम व्यय से संबंधित है। गत वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 में, यह स्पष्ट है कि संयुक्त स्टाफ का संगठन दिसंबर 2021 तक केवल 2,504.49 करोड़ रुपये का उपयोग कर पाया था परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में अभी भी 1700 करोड़ रुपये खर्च किए जाने बाकी हैं। पिछली तिमाही के लिए अनुमानित व्यय आरई स्तर पर 4146.26 करोड़ रुपये के आवंटन का लगभग 40 प्रतिशत है। समिति का मानना है कि अंतिम तिमाही में व्यापक स्तर पर व्यय करने का यह पैटर्न एक स्वस्थ संकेत नहीं है और वित्तीय व्यय प्रबंधन सिद्धांतों के विरूद्ध है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान उचित व्यय योजना तैयार करके कार्यान्वित की जानी चाहिए ताकि निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित सीमा में निधि का उपयोग किया जा सके ताकि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यापक स्तर पर निधियां अव्ययित शेष न रहे।

सैन्य अभियंता सेवाएं (एमईएस)

29. समिति ने नोट करती है कि सैन्य अभियंता सेवाएं (एमईएस) के अन्तर्गत इंजिनियर-इन-चीफ की शाखा केवल थल सेना के लिए कैरी ओवर कैपिटल और कतिपय राजस्व शीर्षों और रखरखाव सेवाओं के लिए आवंटित बजट की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। सेवा मुख्यालय द्वारा स्टाफ चैनल के माध्यम से थल सेना के शेष कोड हैड्स और अन्य सेवाओं के सभी कोड हैड्स के लिए आवंटन एमईएस की निचली सेवाओं (लोवर एमईएस फार्मेशन्स) के लिए किया जाता है। समिति ने पाया कि 2020-21 में पूंजी शीर्ष के तहत, एमईएस के लिए 10,462.71 करोड़रूपये की बजटीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था, जबकि वास्तव में 8833.13 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया और केवल 6604.51 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया। कम उपयोग का कारण कोविड -19 महामारी के कारण विलंब बताया गया था। 2021-22 में, एमईएस को 9137 करोड़ रूपये प्राप्त हुए जिसमें से 31 जनवरी, 2022 तक केवल 5876 करोड़ रूपये का उपयोग किया जा सकता है। साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया गया था कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अर्थात 2021-22 तक पूरे बजटीय आवंटन का उपयोग किया जाएगा। समिति इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि गत वर्ष, महामारी के कारण आवंटित राशि का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया था और इस वर्ष भी 3261 करोड़ रूपये का उपयोग किया जाना बाकी है। समिति सिफारिश करती है कि चालू वित्त वर्ष में बिना चूके पूरे आवंटित निधि का उपयोग करने के लिए मंत्रालय द्वारा जोरदार प्रयास किए जाने चाहिए। समिति इस बात को भी नोट करती है कि 11वीं योजना के 484.42 करोड़ रुपये के छह कार्य और 11वीं योजना के 2397.14 करोड़ रुपये के 25 सीसीएस कार्यों को थल सेनाके लिए पुन: प्राथमिकरण किया गया था और 2263.71 पुन: प्राथमिकरण किया गया था । समिति चिंता व्यक्त

करते हुए नोट करती है कि एक ओर करोड़ों रुपये के कार्यों की प्राथमिकता पुन: निर्धारण की जा रही है और दूसरी ओर, धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है और अंततः आत्मसमर्पण कर दिया गया है। समिति अनुशंसा करती है कि मंत्रालय को एक उपयुक्त व्यय प्रबंधन तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि इस प्रवृत्ति को रोका जा सके और पूंजी बजट के उपयोग में ईमानदारी से सुधार किया जा सके और वित्त वर्ष के तीन तिमाही और अंतिम तिमाही के भीतर निर्धारित समय और व्यय की सीमाओं का सख्ती से पालन किया जा सके। ताकि अप्रयुक्त निधियों को वित्तीय वर्ष के अंत में वापस न किया जाए और करोड़ों रुपये के तीनों बलों से संबंधित स्वीकृत कार्यों की प्राथमिकता का पुन: निर्धारण ना करना पड़े।

30. समिति यह देखकर निराश हुई कि मंत्रालय द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई सभी सामग्री और जानकारी को देखने के बाद, एमईएस के संबंध में पूंजी और राजस्व शीर्षों (अलग-अलग और संयुक्त) के तहत वर्ष 2022-23 के लिए किए गए अनुमान और आवंटन के आंकड़े उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस महत्वपूर्ण आंकड़े को प्रस्तुत न करने के कारणों और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमईएस के लिए किए गए अनुमान और बजट आवंटन से संबंधित आंकड़ों से उन्हें जल्द से जल्द अवगत कराया जाए।

<u>वित्तीय देनदारियों</u>

31. समिति इस चिंता के साथ नोट करती है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में एमईएस की वित्तीय देनदारियां बढ़ रही हैं। 1 अप्रैल, 2021 तक, यह 30244 करोड़ रुपये और सैन्य अभियंता सेवा के पास

लंबित हैं। समिति स्पष्ट रूप से देख सकती है कि पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय देनदारियों को समाप्त करने के लिए एमईएस द्वारा गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे। कमिटी नोट करती है कि एमईएस ने परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए इस साल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मेथडोलॉजी शुरू की है। समिति आशा व्यक्त करती हैं कि एमईएस सही तरीके से अपनी प्रक्रियाओं और कार्यों को सुव्यवस्थित करेगा ताकि इस वर्ष ईपीसी पद्धति को अपनाने के साथ देनदारियों को कम किया जा सके। समिति 1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय द्वारा समिति को की गई कार्रवाई के जवाब प्रस्तुत करते समय वित्तीय देनदारियों के आंकड़ों से अवगत होना चाहेगी।

32. समिति को पता चला है कि हाल ही में सैन्य अभियंता सेवाओं ने कार्यों के निष्पादन और सेवाओं के कामकाज में सुधार के लिए कई पहल शुरू की हैं। समिति यह भी नोट करती है कि एमईएस द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रक्षा कर्मियों के लिए बिजली की लागत और टैरिफ में कटौती के लिए कई पहल की गई । इस संबंध में कहा गया कि मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर सशस्त्र बलों के लिए एक विशेष बिजली स्लैब प्राप्त करने के लिए एक अभियान चलाया था। हालांकि, समिति इस तथ्य के कारण संशय में है कि बिजली राज्य का विषय है इसलिए इस संबंध में किसी सार्थक या तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल और कठिन होगा। रक्षा कर्मियों के लिए कम टैरिफ दरों को लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मामले को आगे बढ़ाने के कई कानूनी निहितार्थ भी हो सकते हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) परियोजनाएं जो पहले से ही रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, उन्हें हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर शुरू

किया जाना चाहिए जो बहुत लागत प्रभावी होगी और अंततः वांछित उद्देश्य को पूरा करेगी। इन एसपीवी परियोजनाओं को दूरस्थ स्थानों पर भी स्थापित किया जाना चाहिए ताकि रक्षा कर्मियों को अधिकतम लाभ दिया जा सके। समिति मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर अवगत होना चाहेगी।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस)

33. समिति ने नोट किया कि 2020-21 में, ईसीएचएस को संशोधित विनियोग चरण में 5321.28 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन वास्तविक उपयोग केवल 4579.63 करोड़ रुपये था। समिति यह देखकर निराश है कि कोविड महामारी के कारण रोगियों की संख्या में वृद्धि और बिलों के लंबित होने के बावजूद, आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका और वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में इसे वापस करना पड़ा। समिति ने आगे यह भी नोट किया कि 2021-22 में 4412.51 करोड़ रुपये के आरई आवंटन के बाद, मंत्रालय ने 550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग रखी थी जिस से कुल अनुमानित मांग 4962.51 करोड़ रुपये हो गई। तथापि, 31 जनवरी, 2022 तक निधियों का कुल उपयोग रु. 3882.20 करोड़ था। ईसीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों के साथ-साथ ईसीएचएस लाभार्थियों से संबंधित ईसीएचएस के पास लंबित बिलों को ध्यान में रखते हुए, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि 2021-22 में

अतिरिक्त आवंटित धनराशि का विवेकपूर्ण तरीके से और सभी लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। समिति इस बात से बहुत परेशान है कि बड़े और मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों ने ईसीएचएस योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने से इनकार करने का कारण बिलों की भारी पेंडेंसी बताया जिसके कारण ईसीएचएस लाभार्थी सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रह गए। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाना चाहिए ताकि 2021-22 में धन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि यह योजना हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित है और इसे इस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए। समिति पैनलबद्ध और ईसीएचएस निजी अस्पताल और लाभार्थियों की कुल बकाया राशि और बकाया को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती है।

34. समिति नोट करती है कि वर्तमान में, देश के 748 जिलों में से 353 में ईसीएचएस सुविधाएं उपलब्ध हैं, शेष जिलों को योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जिससे उन जिलों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों को ईसीएचएस सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि कुछ स्थानों पर सशस्त्र सेना सेवा अस्पताल, जो डॉक्टरों, नर्सों, बिस्तरों और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित हैं, का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को प्रक्रियाओं/नियमों में ढील देने पर विचार करना

चाहिए ताकि सशस्त्र सेना अस्पतालों की सेवाएं ईसीएचएस लाभार्थियों, जिन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, के लिए भी सर्वोत्तम संभव तरीके से खोली जा सकें।

35. समिति को पता चला है कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के प्रभारी कार्यालय (ओआईसी) के पदों के लिए रिक्तियां मंत्रालय द्वारा अनिवार्य रूप से गैर-चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भरी जाती हैं और सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के पदों के लिए विचार नहीं किया जा रहा है, जो विरोधाभासी है क्योंकि पेशेवर रूप से योग्य चिकित्सा अधिकारी नौकरी के लिए अधिक उपयुक्त और योग्य हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को उपलब्ध भूतपूर्व सैनिक एएमसी/जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) आदि के साथ ओआईसी, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के पदों के लिए रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाने चाहिए। समिति को इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर अवगत करा दिया जाए।

36. समिति ने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां ईसीएचएस लाभार्थियों को किसी न किसी बहाने से निजी पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा सेवाओं से वंचित कर दिया गया है। समिति चाहती है कि मंत्रालय ऐसी शिकायतों की जांच करे और इस कमी के कारणों का पता लगाए और समिति को इससे अवगत कराए। समिति यह भी चाहेगी कि मंत्रालय इस समस्या का सही गंभीरता से समाधान करे और निकट भविष्य में इसे कम करे। समिति चाहती है कि वित्त वर्ष की शुरुआत में सभी

लंबित बिलों के दावों का भुगतान करने के लिए विशेष रूप से समर्पित और गैर-व्यपगत बजट होने की व्यवहार्यता पर विचार किया जाए, जिसका इस उद्देश्य के लिए सख्ती से उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो मंत्रालय को अनुपूरक अनुदानों के अनुमोदन के समय अतिरिक्त बजटीय आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। समिति आगे सिफारिश करती है कि मंत्रालय को सभी निजी पैनलबद्ध अस्पतालों को दिशानिर्देशों के अनुसार सभी परिस्थितियों में ईसीएचएस लाभार्थियों की सेवा करने के लिए एक सख्त सलाह जारी करनी चाहिए और उनकी ओर से वे बिलों का शीघ्रता से निपटान करेंगे।

<u>सैनिक स्कूल</u>

37. वित्त मंत्री द्वारा अपने वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में 100 और स्कूल खोलने की घोषणा के बाद से सैनिक स्कूल संगठन का विस्तार हो रहा है। सैनिक स्कूलों के बजट को संशोधित कर 300.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जो बीई चरण में 137.68 करोड़ रुपये था। सैनिक स्कूल के विस्तार को ध्यान में रखते हुए समिति का दृढ़ मत है कि सैनिक स्कूलों के संगठन को परिकल्पित विकास योजना के अनुरूप अपेक्षित निधियां प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, समिति को इस बात पर हैरानी है कि वर्ष 2022-23 के बजट में, सैनिक स्कूल द्वारा अनुमान केवल 170.87 करोड़ रुपये है, जिसका अभी तक आवंटन भी नहीं किया गया। समिति यह पाती है कि नए स्कूल खोलने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और उपयुक्त सुविधाओं को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अत: सैनिक

स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा पर्याप्त बजटीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

38. समिति को यह बताया गया था कि सैनिक स्कूलों के लिए बजट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्रदान किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया था कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषण न केवल अनियमित हो गया है, बल्कि उनके हिस्से में भी गिरावट आई है। वर्ष 2018-19 में, यह हिस्सा 12620.83 करोड़ रुपये था, वर्ष 2019-20 में यह 11899.53 करोड़ रुपये था, और वर्ष 2020-21 में, यह और घटकर 10270.99 करोड़ रुपये हो गया। समिति राज्य के अंतर्गत आने वाले सैनिक स्कूलों की दुर्दशा को अच्छी तरह से समझ सकती है, जहां राज्य सरकार समय पर और आवश्यक निधियां प्रदान नहीं करती है। इसके आलोक में, समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त करते समय, रक्षा मंत्रालय को राज्य सरकार के पूर्व निर्धारित वित्तीय हिस्से के प्रावधान को सुनिश्चित करने के मामले को सख्ती से उठाना चाहिए और यह भी कि संबंधित राज्य अपनी दीर्घकालिक वित्तपोषण योजना प्रस्तुत करने में सक्षम होगा।

39. अनुदानों की मांगों (डीएफजी) की जांच के दौरान, समिति को इस बात से अवगत कराया गया था कि छठे सीपीसी और सातवें सीपीसी वेतनमानों के कार्यान्वयन के बाद, सैनिक स्कूलों को कतिपय वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से बढ़े हुए वेतन/भत्तों के कारण अतिरिक्त निधियों का भुगतान करने में उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि, रक्षा मंत्रालय की सहायता से, सैनिक स्कूल सोसायटी काफी हद तक उन बाधाओं से पार पाने में सक्षम थी। समिति सैनिक स्कूल सोसायटी को रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता की सराहना करती है और चाहती है कि अतिरिक्त निधियों के भुगतान के लिए शेष बजट को भी शीघ्रता से प्रदान किया जाए।

<u>अवसंरचना</u>

40. समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि कुछ सैनिक स्कूलों में विशेषरूप से रेवाड़ी, सैनिक स्कूल गोपालगंज, सैनिक स्कूल पूर्वी सियांग और सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में सैनिक स्कूलों में अपर्याप्त अवसंरचना व्यवस्था है। मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि अवसंरचना का अनुरक्षण भी राज्य सरकार का विषय है, लेकिन तथापि समिति नोट करती है कि इस प्रयोजनार्थ अनुदानों का आवंटन भी कुछ मामलों में वास्तविक मांग को पूरा नहीं करता है। समिति ने अपनी नाराजगी जताते हुए इस बात की इच्छा जताई कि इस संबंध में एक

व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। चूंकि निकट भविष्य में सैनिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि होगी, इसलिए प्रत्येक स्कूल के स्तर पर आवश्यक, आधुनिक और समान अवसंरचना का प्रावधान मानक होना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय को सभी सैनिक स्कूलों में पर्याप्त अवसंरचना के रखरखाव और सृजन के मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श करने के बाद एक उपयुक्त योजना प्रस्तुत करना चाहिए। समिति इस संबंध में हुए घटनाक्रमों के बारे में अवगत होना चाहेगी।

41. समिति को पता चला कि कुछ सैनिक स्कूल दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे शिक्षकों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। चूंकि देश भर में पर्याप्त प्रतिभा उपलब्ध है, इसलिए सैनिक स्कूलों को प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शुरू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति का मत है कि सैनिक स्कूल सोसायटी केन्द्रीय विद्यालयों के अनुभव से भी सीख सकती है, जहां कर्मचारियों/शिक्षकों को नियमित आधार पर बारी-बारी से स्थानांतरित किया जाता है।

42. समिति को अवगत कराया गया कि सैनिक स्कूलों की संख्या में उनकी बढ़ती मांग के कारण पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन सेना

शिक्षा कोर के अधिकारियों में कोई सहवर्ती वृद्धि नहीं हुई है जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एडमिन ऑफिसर के पद पर हैं। नतीजतन, कुछ अवसरों पर, तीनों सेनाओं को प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और प्रशासनिक अधिकारी के पद को भरने के लिए अपेक्षित क्यूआर के साथ अधिकारियों को नियुक्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सैनिक स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति ने सेना शिक्षा कोर के अधिकारियों की संख्या की समीक्षा करने और उपयुक्त रूप से बढ़ाने की सिफारिश की है और उन्हें इस संबंध में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया जाए।

43. जहां तक सैनिक स्कूल, बीजापुर का संबंध है, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उक्त स्कूल अपेक्षाकृत पुराना होने के कारण अवसंरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। तथापि, यह आश्वासन दिया गया था कि पिछले कुछ वर्षों में बजटीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, सभी प्रकार की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। समिति को आशा है कि पुराने स्कूलों सहित सभी सैनिक स्कूलों के समग्र अवसंरचना अनुरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण केंद्रीय स्तर पर शुरू किया जा सकता है। सैनिक स्कूल, ग्वालपाड़ा के संबंध में , रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि असम राज्य से निधियों का प्रावधान न किए

जाने के कारण कुछ विलंब हुआ है। हालांकि, 2020-21 में 7 करोड़ 68 लाख रुपये के अनुदान के साथ, विकास कार्य प्रगति पर है और उस स्थान पर एनडीए और एसएसबी के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। समिति चाहती है कि जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, ऐसी सुविधाएं अन्य सैनिक स्कूलों में भी सृजित की जाएं और निधियों की कमी के कारण कार्य प्रभावित न हो।

<u>बालिका उम्मीदवारों का प्रवेश</u>

44. समिति ने अपनी पूर्व रिपोर्टों में सैनिक स्कूलों में छात्राओं को प्रवेश देने की सिफारिश की थी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में समिति द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सभी 33 सैनिक स्कूलों में छठी कक्षा में 312 छात्राओं को प्रवेश दिया गया था। यह पाया गया कि सरकार ने कंटीले तारों की बाड़ के साथ एक अलग छात्रावास, महिला कर्मचारियों की नियुक्ति, छात्रावास में अलग-अलग वॉशरूम, खेल मैदान, ऑडिटोरियम, मेस और अकादमिक ब्लॉक, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना आदि जैसी सुविधाएं बनाने के लिए 109 करोड़ रुपये प्रदान किए थे। समिति ने छात्राओं के लिए अपेक्षित अवसंरचना के सृजन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए अनेक कदमों पर ध्यान देते हुए यह इच्छा व्यक्त की है कि स्कूल स्तरों पर अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के संवर्धन और उनको स्थायित्व प्रदान करने हेतु निगरानी के लिए नियमित आधार पर केन्द्रीय स्तर के दौरे किए जाएंगे।

45. समिति एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार करने की भी सिफारिश करती है ताकि महिला छात्र/कर्मचारी स्वतंत्र रूप से अपनी शिकायतों को पंजीकृत कर सकें ताकि उनका निष्पक्ष समाधान किया जा सके। समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।

46. सैनिक स्कूल सोसायटी बहुत लंबे समय तक "केवल लड़कों का स्कूल" था। चूंकि हाल ही में छात्राओं को शामिल किया गया था, इसलिए समिति का मानना है कि इस बात की आवश्यकता है कि संकाय/अधिकारियों और छात्रों के लिए एक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें स्कूल में लड़कियों को समायोजित करने और उनका सम्मान करने के लिए जागरूक बनाया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि इस तरह के कार्यक्रम नियमित आधार पर आयोजित किए जाएंगे।

<u>नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत</u>

47. सरकार ने बजट 2021-22 में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी। निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 100 नए स्कूलों की स्थापना को 12 अक्टूबर 2021 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह भी सूचित किया गया कि 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में

फैले 379 इच्छुक स्कूलों ने अब तक सैनिक स्कूल सोसायटी के साथ पंजीकरण कराया है। रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि नई योजना में राज्य सरकारों की भूमिका भी शामिल है और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जिलों को यथानुपात आधार पर विभाजित किया जा रहा है। समिति चाहती है कि उन राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां कोई सैनिक स्कूल नहीं हैं, पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और यह भी इच्छा है कि मंत्रालय द्वारा सभी उपाय किए जाने चाहिए ताकि योजना निर्धारित समय-सीमा के भीतर आगे बढ़े। इस संबंध में एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर समिति को प्रस्तुत की जा सकती है।

48. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से, समिति ने नोट किया कि सोसायटी प्रति स्कूल 40,000 रुपये की ऊपरी सीमा के अध्यधीन 50% की वार्षिक शुल्क सहायता प्रदान करेगी। समिति इस बात पर जोर देती है कि रक्षा मंत्रालय जहां तक संभव हो विभिन्न सैनिक स्कूलों के शुल्क ढांचे में एकरूपता लाने का प्रयास करेगी। स्पष्टतः, हालांकि स्थानगत भत्ते आदि समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में काम करने वाले स्कूलों में शिक्षा शुल्क समान होना चाहिए।